पत्रांक : 1802 / आयु0रा0क0उत्तरा0 / रा0क0 / विधि–अनु0 / 2017–18 / देहरादून।

कार्यालय :: आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)
देहरादून :: दिनांक :: 13 जुलाई, 2017

–:: परिपत्र ::–

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या 282 / xxxvi(3) / 2017 / 41(1) / 2017 दिनांक 30 जून, 2017 जारी की गई है, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 25–क में संशोधन करते हुए वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15 तथा वर्ष 2015–16 के अनिस्तारित वाद उक्त धारा में विनिर्दिष्ट उपबंधों के आधार पर स्वतः निर्धारित किए जाने के सम्बन्ध में प्राविधान किया गया है।

उपरोक्त प्राविधानित उपबंधों के अन्तर्गत प्रख्यापित व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार है :–

1. स्वतः निर्धारण के लिए वार्षिक आवर्त की कोई सीमा नहीं रखी गई है;
2. आयरन–स्टील, खाद्य तेल, सीमेंट, मैंथा एवं मैंथा उत्पाद, पान मसाला, मार्बल स्टोन, सिरेमिक टाईल्स के ट्रेडर्स या विनिर्माताओं तथा ईंट, रेत, बजरी, बोल्डर्स, आरबीएम, ग्रिट, क्रस्ड स्टोन, स्टोन ब्लास्ट, गिट्टी, कंकड़, स्टोन डस्ट में संव्यवहार करने वाले व्यापारियों तथा रूपए दस हजार से अधिक रिफण्ड का दावा करने वाले व्यापारियों को स्वतः निर्धारण से बाहर रखा गया है;
3. जिन व्यापारियों के विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य रिकॉर्ड पर है अथवा वर्ष 2012–13 में कर की दर का विवाद, आईटीसी रिवर्सल का कोई मामला है अथवा किसी अन्य कारण से नियमित सुनवाई के उपरान्त रूपए दस हजार से अधिक की कोई अतिरिक्त माँग स्वीकृत कर के अतिरिक्त सृजित हुई है, को स्वतः निर्धारण से बाहर रखा गया है;
4. जिन ईंट भट्टों के द्वारा समाधान योजना का विकल्प नहीं लिया गया है तथा संकर्म संविदाकारों जिनके द्वारा समाधान योजना का विकल्प नहीं लिया गया है, को भी स्वतः निर्धारण से बाहर रखा गया है।

यह उल्लेखनीय है कि धारा 25–क के अन्तर्गत अर्ह व्यापारियों द्वारा यदि अधिसूचना के जारी होने की तिथि से पूर्व अथवा को अथवा इस हेतु अधिसूचना जारी होने की तिथि से 90 दिन के भीतर सभी सावधिक विवरणियां दाखिल कर दी गई हैं तो इन सभी विवरणियों में स्वीकृत करदेयता अथवा वार्षिक विवरणी दाखिल कर दी गई है तो वार्षिक विवरणी में स्वीकृत करदेयता अथवा यदि सभी सावधिक विवरणियां और वार्षिक विवरणी भी दाखिल कर दी गई है तो वार्षिक विवरणी में स्वीकृत करदेयता के आधार पर ऐसे व्यापारियों को स्वतः निर्धारित मान लिया जाएगा।

मुख्यालय के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि दिनांक 30 जून, 2017 को उक्त अधिसूचना जारी होने के उपरान्त भी, ऐसे व्यापारियों को छोड़कर जो धारा 25–क के अन्तर्गत स्वतः निर्धारण हेतु अर्ह नहीं हैं, अन्य व्यापारियों को, कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा नियमित सुनवाई हेतु नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जबकि अधिसूचना संख्या 282 दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा अधिसूचित संशोधित धारा 25–क में उपरोक्त प्रस्तर अनुसार स्पष्ट रूप से अनर्ह व्यापारियों को छोड़ते हुए अन्य व्यापारियों के लिए विवरणी दाखिल करने हेतु अधिसूचना की तिथि से 90 दिन का समय दिये जाने सम्बन्धी प्राविधान है। इस प्रकार यह स्वतः स्पष्ट है कि ऐसे व्यापारियों, जो उक्त अधिसूचना में विहित शर्तों को पूर्ण

करते हों, को दिनांक 28.09.2017 तक नियमित सुनवाई के सम्बन्ध में कोई नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है। ऐसे व्यापारियों के संबंध में उक्त दिनांक के उपरान्त धारा 25 क में विहित व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाएगी।

इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (3) के अन्तर्गत स्वतः कर निर्धारण का उपबंध प्राविधानित है, जिसके क्रम में धारा 25 की उपधारा (4) में यह उल्लिखित है कि जो ब्यौहारी उपधारा (3) के अधीन स्वतः कर निर्धारित समझे गए हैं, में से एक या एक से अधिक ब्यौहारी उपधारा (6) व उपधारा (7) के अधीन जाँच के उपरान्त चयनित किए जा सकते हैं। जाँच के लिए ब्यौहारियों का चयन और उसके पश्चात कर निर्धारण वर्ष के लिए चयन, ऐसी रीति, जैसी कि कमिश्नर द्वारा विहित की जाए, से किया जाएगा। इस उपबंध के अनुक्रम में मुख्यालय के पत्रांक 442 दिनांक 28.04.2016 के द्वारा वर्ष 2013–14 तथा वर्ष 2014–15 के लिए स्वतः निर्धारित समझे गए व्यापारियों के मामले में उन तथ्यों को विज्ञापित किया गया है, जिनके पाए जाने पर किसी व्यापारी को धारा 25 (6) अथवा धारा 25 (7) के अन्तर्गत कर निर्धारण हेतु चयनित किया जाएगा। इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि ऐसे व्यापारी, जिसको धारा 25 की उपधारा (4) के अधीन नियमित कर निर्धारण हेतु चयनित किया गया है, के द्वारा धारा 25–क में विहित शर्तों तथा प्रतिबंधों की अनुपालना पूर्ण की जाती है तो ऐसे वादों को भी धारा 25–क के अन्तर्गत स्वतः निर्धारित किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

मुख्यालय के संज्ञान में आए संदर्भित तथ्य तथा उपरोक्तानुसार विस्तृत विवेचन के आधार पर समस्त कर निर्धारण अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि अधिसूचना संख्या 282 दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा विहित व्यवस्था तथा इस परिपत्र में उपर्युक्त उल्लिखित दिशा–निर्देशों का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

यदि मुख्यालय के संज्ञान में पुनः धारा 25–क के सम्बन्ध में ऐसे तथ्य आते हैं, जो उपरोक्त धारा में विहित व्यवस्था से असंगत हैं तो इस हेतु उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध मुख्यालय स्तर पर प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

(श्रीधर बाबू अद्दांकी)
आयुक्त राज्य कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 – 1802 /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जोनल एडिशनल कमिश्नर, राज्य कर, उत्तराखण्ड।
2. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0/प्रव0), राज्य कर, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि धारा 25–क के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही का व्यक्तिगत पर्यवेक्षण करना सुनिश्चित करेंगे तथा उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ कर निर्धारण अधिकारियों को उपलब्ध कराएंगे।
3. समस्त अनुभाग अधिकारी मुख्यालय।
4. विधि अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

13/7
आयुक्त राज्य कर,
उत्तराखण्ड।

Aud_(Vidhi_LS)